रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939
No. 753] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/BHADRA 15, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1131(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 अक्तूबर 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में, भाग X और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:.

भाग XI

तार का परीक्षण और प्रमाणन

528. परिभाषाएं :-

तार का परीक्षण और प्रमाणना, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

"मूल उपस्कर विनिर्माता" से तार का ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जिसके ब्रांड के अधीन तार बेचा जाता है या बेचे जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

529. अनिवार्य परीक्षण - कोई भी तार जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त, अनुज्ञती के अधीन स्थापित किए गए, अनुरक्षित किए गए या कार्यचालित किए गए या किसी भी तार के साथ प्रयोग किया जाता हो या प्रयोग किए जाने के योग्य हो, उसे तार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित पैरामीटरों के अनुसार पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा।

परंतु भारत मे अनुसंधान और विकास या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए या अनिवार्य परीक्षण के लिए नमूने के रूप मे या भारत मे ऐसी आवक विदेशी यात्रा पर व्यक्तिगत रूप से साथ लाया गया जो भारत मे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, तार यंत्र को जिसका उक्त अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आयात या उपयोग प्रतिषिद्ध नहीं है, समय समय पर तार प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किसी आदेश द्वारा अनिवार्य परीक्षा की अपेक्षा से छूट दी जा सकेगी/

परंतु यह और कि तार प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन तार यंत्रों को छोड़कर जो परंतुक मे विनिर्दिष्ट हैं, तार के कतिपय प्रवर्ग या प्रवर्गों को ऐसी अनिवार्य परीक्षा से निश्चित श्रेणी या श्रेणियों की छूट दे सकेगा।

530. प्रमाणन हेतु प्राधिकारी :-

(1) परीक्षण तार प्राधिकारी या तार प्राधिकारी द्वारा अभिहित किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(2) तार प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना के अनुसार, परीक्षण के लिए तार को पेश करने वाले व्यक्ति को निर्धारित शुल्क जो 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा देना होगा तथा परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधीनयित पैरामीटरों के अनुपालन के पश्चात, तार प्राधिकारी द्वारा विदित्त प्रक्रिया के अनुसार तार के लिए परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(3) परीक्षण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता प्रमाण-पत्र पर विनिर्दिष्ट होगी और विदित्त प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के पश्चात विदित्त फीस का संदाय करके प्रमाण-पत्र का नवीकरण करवाया जा सकता है।

531. अनिवार्य परीक्षण हेतु उत्तरदायित्वः- भारत में मूल उपस्कर विनिर्माता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह भारत में उपस्कर की बिक्री से पहले इसका अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन करवाये तथा तार प्राधिकारी द्वारा यथा विदित्त ब्यौरे जैसे विनिर्देशन, चेतावनी और प्रमाण-पत्र संख्या और इसकी वैद्यता तार के बाहरी भाग पर मुद्रित करे।

532. आयातकर्ता की परीक्षण हेतु आयातक का उत्तरदायित्वः- किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विक्रय करने के लिए तार आयात करने वाले व्यक्ति अथवा उस विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसका विक्रय प्रारम्भ करने से पहले तार प्राधिकारी या उसका अभिहित निकाय से इसकी जाँच और प्रमाणन करवा लें।

533. विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता का उत्तरदायित्वः- जांच प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता भारत में विक्रय के लिये तार की कोई मात्रा नहीं भेजेगा।

534. पुनः प्रमाणीकरणः- तार के एक बार प्रमाणित हो जाने पर भारतीय या विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता के विक्रेता या वितरक या अभिकरण से अतिरिक्त प्रमाणन प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा परंतु ऐसे तार का मॉडल या ब्राण्ड किसी प्रकार से उस तार के मॉडल या ब्रांड से भिन्न नहीं होगा जिसे प्रमाणित किया गया है और उसकी बॉडी पर तार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रमाणन संबंधी विवरण दिया जाएगा।

535. अप्रमाणित तार के विक्रय का वर्जन- कोई व्यक्ति किसी ऐसे तार का, जब तक उसे ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है, विक्रय नहीं करेगा जिसके संबंध मे नियम 530 मे निर्दिष्ट तार प्राधिकारी या किसी अभिहीत प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य अधिप्रमाणन अपेक्षित है।

536. अप्रमाणित तार को हटाया जाना :- (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे उपअधिनियम के अधीन तार को संस्थापित करने, इसका रखरखाव करने अथवा इस पर कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति दी गई हो, यह पता चलने पर कि प्रयोगकर्ता द्वारा अप्रमाणित तार का उपयोग किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे तार को हटा दिया जाए अथवा यदि वह ऐसे तार को हटाने में असफल रहता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रमाणित तार के प्रयोग का पता चलने के सात दिनों के भीतर सेवा अथवा कनेक्टिविटी को वापस ले लिया जाये तथा ऐसे सभी मामले तार प्राधिकारी की जानकारी में प्रत्येक सप्ताह लाये जाएं।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके नेटवर्क में ऐसे किसी तार का उपयोग, जब तक उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है, नहीं किया जाएगा जिसके लिए अनिवार्य प्रमाणन अपेक्षित है।

537. (1) उल्लंघन और सूचनाएँ:- यदि कोई व्यक्ति किसी तार के संबंध में इस भाग के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो तार प्राधिकारी;-

(i) ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी कर सकेगा जो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या अनुमति की शर्तों से संबन्धित विधि के उपबंधों का उलंघन करता है।

(ii) अनुज्ञप्ति या अनुमति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा, यदि इस प्रकार अनुज्ञप्त या अनुमति प्राप्त व्यक्ति द्वारा अप्रमाणित तार का उपयोग किया जाता है या ऐसा व्यक्ति उसके नेटवर्क या सेवा के उपभोक्ताओं से अप्रमाणित तार हटाने मे असफल रहता है।

(iii) ऐसे तार को अभिरक्षा मे ले सकेगा और तार को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा चाहे वह आयातित हो या भारतीय मूल का स्वदेशी वस्तु की दशा मे, यदि ऐसा व्यक्ति अर्थार्थ आयतकरता या मूल उपस्कर विनिर्माता उलंघन की सूचना जारी होने की तारीख से 180 दिन के भीतर अनिवार्य प्रमाणन करवाने मे असमर्थ रहता है।

(2) उपनियम (1) मे निर्दिष्ट व्यक्ति को, विहित फीस के 10 गुना का संदाय करके ऐसे तार के लिए तार प्राधिकारी को प्रमाणीकरण के लिए अनुज्ञाप्त किया जा सकेगा और तार प्राधिकारी यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात प्रमाण पत्र जारी करेगा।

[फा. सं. 3-1/2011-पीएचपी (पार्ट)]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

नोटः मूल नियम पोस्ट और तार नियम अंक/खंड I, विधायी अधिनियमिति, भाग-II संस्करण द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवरती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए

1. सा. का. नि. 190, तारीख 18.02.1984
2. सा. का. नि., 386 तारीख 22.05.1984
3. सा. का. नि. 387 (अ), तारीख 22.05.1984
4. सा. का. नि. 679, तारीख 30.06.1984
5. सा. का. नि. 428, तारीख 27.04.1985
6. सा. का. नि. 729, तारीख 03.08.1985
7. सा. का. नि. 982, तारीख 19.10.1986
8. सा. का. नि. 553 (अ), तारीख 27.03.1986
9. सा. का. नि. 314, तारीख 26.04.1986
10. सा. का. नि. 566, तारीख 26.07.1986
11. सा. का. नि. 953 (अ), तारीख 23.07.1986
12. सा. का. नि. 1121 (अ), तारीख 01.10.1986
13. सा. का. नि. 1167 (अ), तारीख 28.10.1986
14. सा. का. नि. 1237 (अ), तारीख 28.11.1986
15. सा. का. नि. 49, तारीख 17.01.1987
16. सा. का. नि. 112 (अ), तारीख 25.02.1987
17. सा. का. नि. 377 (अ), तारीख 09.04.1987
18. सा. का. नि. 674 (अ), तारीख 27.07.1987
19. सा. का. नि. 719 (अ), तारीख 18.08.1987
20. सा. का. नि. 837 (अ), तारीख 05.10.1987
21. सा. का. नि. 989 (अ), तारीख 17.12.1987
22. सा. का. नि. 337 (अ), तारीख 11.03.1988
23. सा. का. नि. 361 (अ), तारीख 21.03.1988
24. सा. का. नि. 626 (अ), तारीख 17.05.1988
25. सा. का. नि. 660 (अ), तारीख 31.05.1988
26. सा. का. नि. 693 (अ), तारीख 10.06.1988
27. सा. का. नि. 734 (अ), तारीख 24.06.1988
28. सा. का. नि. 606, तारीख 14.07.1988
29. सा. का. नि. 812 (अ), तारीख 26.07.1988
30. सा. का. नि. 888 (अ), तारीख 01.09.1988
31. सा. का. नि. 907 (अ), तारीख 07.09.1988
32. सा. का. नि. 916 (अ), तारीख 09.09.1988
33. सा. का. नि. 1054, तारीख 02.11.1988
34. सा. का. नि. 179, तारीख 18.03.1989
35. सा. का. नि. 358 (अ), तारीख 15.03.1989
36. सा. का. नि. 622 (अ), तारीख 15.06.1989
37. सा. का. नि. 865, तारीख 29.09.1989
38. सा. का. नि. 413 (अ), तारीख 29.03.1990
39. सा. का. नि. 574 (अ), तारीख 15.06.1990
40. सा. का. नि. 933 (अ), तारीख 03.12.1990
41. सा. का. नि. 985 (अ), तारीख 20.12.1990
42. सा. का. नि. 74 (अ), तारीख 18.01.1991
43. सा. का. नि. 237 (अ), तारीख 25.04.1991
44. सा. का. नि. 251 (अ), तारीख 02.05.1991
45. सा. का. नि. 543 (अ), तारीख 21.05.1992
46. सा. का. नि. 560 (अ), तारीख 26.05.1992

47. सा. का. नि. 587 (अ), तारीख 10.06.1992
48. सा. का. नि. 730 (अ), तारीख 19.08.1992
49. सा. का. नि. 830 (अ), तारीख 28.10.1992
50. सा. का. नि. 62 (अ), तारीख 11.02.1993
51. सा. का. नि. 80, तारीख 06.02.1993
52. सा. का. नि. 384 (अ), तारीख 27.04.1993
53. सा. का. नि. 387 (अ), तारीख 28.04.1993
54. सा. का. नि. 220 (अ), तारीख 26.03.2004
55. सा. का. नि. 713 (अ), तारीख 17.11.2006
56. सा. का. नि. 193 (अ), तारीख 01.03.2007
57. सा. का. नि. 547 (अ), तारीख 18.07.2008
58. सा. का. नि. 49 (अ), तारीख 27.01.2010
59. सा. का. नि. 279 (अ), तारीख 31.03.2010
60. सा. का. नि. 256 (अ), तारीख 27.03.2012
61. सा. का. नि. 412 (अ), तारीख 29.05.2012
62. सा. का. नि. 368 (अ), तारीख 07.06.2013
63. सा. का. नि. 506 (अ), तारीख 24.07.2013
64. सा. का. नि. 18, तारीख 28.01.2014
65. सा. का. नि. 912 (अ), तारीख 23.12.2014
66. सा. का. नि. 653 (अ), तारीख 25.08.2015
67. सा. का. नि. 241 , तारीख 10.12.2015
68. सा. का. नि. 297(अ), तारीख 28.03.2017
69. सा. का. नि. 314 (अ), तारीख 31.03.2017
70. सा. का. नि. 406 (अ), तारीख 20.04.2017
71. सा. का. नि. 439 (अ), तारीख 02.05.2017
72. सा. का. नि. 482 (अ), तारीख 17.05.2017
73. सा. का. नि. 507(अ), तारीख 22.05.2017
74. सा. का. नि. 540(अ), तारीख 31.05.2017

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

G.S.R. 1131(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on 1st October, 2018.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, after PART X and the entities relating there to, the following shall be inserted, namely :—

PART XI

TESTING AND CERTIFICATION OF TELEGRAPH

528. Definitions :—

Testing and certification of telegraph - in this part, unless the context otherwise requires,—

"Original Equipment Manufacturer" means a manufacturer of telegraph under whose brand the telegraph is sold or proposed to be sold.

529. Mandatory Testing**-** Any telegraph which is used or capable of being used with any telegraph established, maintained or worked under the licence granted by the Central Government in accordance with the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (hereinafter referred to as the said Act), shall have to undergo prior mandatory testing and certification in respect of parameters as determined by the telegraph authority from time to time:

Provided that the telegraph imported for the purpose of research and development or demonstration in India or as sample for mandatory testing or personally accompanied on inward foreign travel to India which is for personal use in India and not prohibited to be imported or used under the said Act or any other law for the

time being in force, may be exempted by an order issued in this regard by the telegraph authority from time to time, from the requirement of mandatory testing:

Provided further that the telegraph authority may by notification in the Official Gazette exempt certain category or categories of telegraph except those specified in the proviso from such mandatory testing.

530. Authority for testing- (1) The testing shall be carried out by the telegraph authority or any other agency designated by the telegraph authority.

(2) The fee charged for testing carried out by the telegraph authority from the person who offers the telegraph for testing shall not exceed rupees fifty lakhs as specified by notification and the telegraph authority after compliance of the parameters set forth both for testing and certification shall issue a test certificate for the telegraph, as per the procedures prescribed by the telegraph authority.

(3) The validity of the test certificate shall be as specified in the certificate and the certificate may be renewed on payment of prescribed fee, after following the prescribed procedures.

531. Responsibility for mandatory testing :- It shall be the responsibility of the Original Equipment Manufacturer in India for getting the mandatory testing and certification done before sale of equipment in India and to print the details of telegraph as prescribed by the telegraph authority such as specification, warning and certificate number and its validity on the outside body of the telegraph.

532. Responsibility of importer for testing :- It shall be the responsibility of the person importing telegraph for sale in India or the foreign Original Equipment Manufacturer to offer the telegraph for testing and certification by the telegraph authority or its designated body before sale.

533. Responsibility of foreign original equipment manufacturer :- The foreign Original Equipment Manufacturer shall not dispatch any quantity of the telegraph for sale in India after expiry of the validity of the test certificate.

534. Recertification :- When a telegraph has been certified, the dealer or distributor or agency of the Indian or foreign Original Equipment Manufacturer shall not be required to get the telegraph certified again provided that the model or brand of such telegraph is not different in any manner from the one which has been certified and shall carry details of certification on the body of the telegraph as prescribed by the telegraph authority.

535. Bar on sale of uncertified telegraph:- No person shall sell any telegraph in respect of which mandatory certification is required by the telegraph authority or any designated agency, referred to in rule 530, unless it is certified by such authority or agency.

536. Removal of uncertified telegraph:- (1) Any person licensed or permitted to establish, maintain or work a telegraph under the said Act shall, on detection of use of uncertified telegraph by a user, ensure its removal by the user or, in case of his failure in such removal, withdrawal of service or connectivity to network within seven days of its detection and all such cases shall be brought to the notice of the telegraph authority in each week.

(2) No telegraph in respect of which mandatory certification is required, shall be used by the licensee in its network unless it is certified.

537.(1) Contravention and notices:- If any person contravenes the provisions of this Part, in respect of any telegraph, the telegraph authority may,

(i) issue notice to the person who contravenes the provisions of law pertaining to conditions of license or permission granted under section 4 of the Act,

(ii) take action in accordance with the terms and conditions of the licence or permission, if uncertified telegraph is used by the person so licensed or permitted, or if such person fails to get uncertified telegraph removed from the users of his network or service;

(iii) take custody of such telegraph and order to destroy the telegraph whether imported or of Indian origin, if the person i.e. the importer or the Original Equipment Manufacturer in case of indigenous item is unable to get the mandatory certification done within one hundred and eighty days from the date of issue of notice of violation;

(2) The person referred to in sub-rule(1) may be permitted to apply for Certification to the telegraph authority for such telegraph on payment of ten times of prescribed fee and the telegraph authority after observing the procedures as specified may issue the Certificate.

[F. No. 3-1/2011-PHP(Pt.)]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin)

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I. Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended *vide* notification numbers—

1. G.S.R. 190, dated the 18th February, 1984;
2. G.S.R. 386, dated the 22nd May, 1984;
3. G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 1984;
4. G.S.R. 679, dated the 30th June, 1984;
5. G.S.R. 428, dated the 27th April, 1985;
6. G.S.R 729, dated the 3rd August, 1985;
7. G.S.R. 982, dated the 19th October, 1986;
8. G.S.R. 553(E), dated the 27th March, 1986;
9. G.S.R. 314, dated the 26th April, 1986;
10. G.S.R. 566, dated the 26th July, 1986;
11. G.S.R. 953(E), dated the 23rd July, 1986;
12. G.S.R. 1121(E), dated the 1st October, 1986;
13. G.S.R. 1167(E), dated the 28th October, 1986;
14. G.S.R. 1237(E), dated the 28th November, 1986;
15. G.S.R. 49, dated the 17th January, 1987;
16. G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 1987;
17. G.S.R. 377(E), dated the 9th April, 1987;
18. G.S.R. 674(E), dated the 27th July, 1987;
19. G.S.R. 719(E), dated the18th August, 1987;
20. G.S.R. 837(E), dated the 5th October, 1987;
21. G.S.R. 989(E), dated the 17th December, 1987;
22. G.S.R. 337(E), dated the 11th March, 1988;
23. G.S.R. 361(E), dated the 21st March, 1988;
24. G.S.R. 626(E), dated the 17th May, 1988;
25. G.S.R. 660(E), dated the 31st May, 1988;
26. G.S.R. 693(E), dated the 10th June, 1988;
27. G.S.R. 734(E), dated the 24th June, 1988;
28. G.S.R. 606, dated the 14th July, 1988;
29. G.S.R. 812(E), dated the 26th July, 1988;
30. G.S.R. 888(E), dated the 1st September, 1988;
31. G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989;
37. G.S.R.865, dated the 29th September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990;
39. G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990;
40. G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990;
41. G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990;
42. G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991;
43. G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991;
44. G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991;
45. G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992;
46. G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992;
47. G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992;
48. G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992;
49. G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992;
50. G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993;
51. G.S.R. 80, dated the 6th February, 1993;
52. G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993;
53. G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993;
54. G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004;
55. G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006;
56. G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007;
57. G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008;
58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;
59. G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010;
60. G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012;
61. G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012;
62. G.S.R. 368(E) dated the 07th June, 2013;

63. G.S.R. 506(E) dated the 24th July, 2013;

64. G.S.R. 18 dated the 28th January, 2014;

65. G.S.R. 912(E) dated the 23rd December, 2014;

66. G.S.R. 653(E) dated the 25th August, 2015;

67. G.S.R. 241 dated the 10th December, 2015;

68. G.S.R. 297(E) dated the 28th March, 2017;

69. G.S.R. 314(E) dated the 31st March, 2017;

70. G.S.R. 406(E) dated the 20th April, 2017;

71. G.S.R. 439(E) dated the 2nd May, 2017;

72. G.S.R. 482(E) dated the 17th May, 2017;

73. G.S.R. 507(E) dated the 22nd May, 2017; and

74. G.S.R. 540(E) dated the 31st May, 2017

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.08 11:35:49 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.